

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

101/अपील/2017

07.03.2017

04.07.2018

बजरंग लाल आ0 ईसर जाति धोबी निवासी ग्राम धोवड़ा तहसील
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांत

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 12.12.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से — श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल जप्ती से बेदखली, पैनाल्टी 1520/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। पटवारी अलोद पर नियुक्त पटवारी श्री मोहन लाल आ0 किशन लाल रेगर जिसके पास पटवार मण्डल, नेत का चार्ज दे रखा है। उक्त पटवारी द्वारा अपीलान्त के कब्जे की भूमि का कोई मौका नहीं देखा है और गलत रूप से अपीलान्त का अतिक्रमण करने बाबत गलत तथ्यों के आधार



पर रिपोर्ट पेश की गई है। विवादित भूमि पर पटवारी द्वारा मक्का की फसल होना अंकित किया है। जबकि अपीलान्त ने मौके पर मक्का की कोई फसल बाई है एवं ना ही अपीलान्त का 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट का कोई सत्यापन नहीं किया है, कब्जे का बिना सत्यापन कराये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो नियम विरुद्ध है। अपीलान्त भूमिहीन मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान नहीं है। ग्राम रामनिवास में विवादित भूमि पर अपीलान्त ने उसके पिता के समय से ही लगभग 60-70 वर्ष से निवास करते आ रहे हैं। पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्त अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलान्त को कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है एवं ना ही अपीलान्त की तामील हुई है। अपीलान्त का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार ने सिवायचक व चरागाह भूमि पर 1970 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये हैं तथा राज्य सरकार ने परिपत्र क्र. 9(6)/2000/ दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक व अन्य गैरमूमकीन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश किये गये थे जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया है अर्थात् 01.01.2000 के पूर्व की अतिक्रमण की भूमि को नियमन करवाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त उक्त अतिक्रमित भूमि को नियमन करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई स्वतंत्र साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये हैं केवल पटवारी के बयानों के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को पश्चातवर्ती साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अतिक्रमित भूमि जो अपीलान्त के कब्जे में है नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि को नियमन करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्त द्वारा पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय व अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे अपीलान्त का पुराना अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा काश्त होने से नियमन का अधिकार रखता है। अपीलान्त को विवादित भूमि नियमन की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त का पुराना कब्जा काश्त होने बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं है एवं ना ही अपीलान्त ने अपील के साथ प्रस्तुत किये है। जिससे अपीलान्त का पुराना कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्त को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्त को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्त को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्त ने बहुत अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

बून्दी (राज0)